नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गांव: मछरौली हदबस्त न. 263 तहसील: बिलासपुर जिला: यमुना नगर साल: 2013-2014 पृष्ठ संख्या: 1/5[illegible]

1 खेवट या जमाबंदी न.	2 खतौनी न.	3 नाम तरफ या पत्ती	4 विवरण सहित मालिक का नाम	5 विवरण सहित काश्तकार	6 कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	7 नम्बर खसरा या मुरब्बे और कीले का नम्बर	8 रकबा और किस्म जमीन	9 दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	10 हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाछ का ढंग	11 माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग	12 अभियुक्ति
2 // 2	4	चौहानान सिखां	राजकुमार ऊर्फ रामा पुत्र लछमन दास पुत्र गीता राम 1/5 भाग हुकमचन्द, उग्रसैन, बौरु ऊर्फ रविन्द, संजीव कुमार ऊर्फ रमेश पुत्रान राजकुमार ऊर्फ रामा हर चार समभाग 4/5 भाग वासीदेह	खुदकाश्त	टयूबैल	53// 24	6-5 चाही				2834 हस्तान्तरण नामा ---लाल आरम्भ----- आड रहन बरुये रपट न0 578 तिथी 20/03/2015 के अनुसार उगरसैन पुत्र राज कुमार ने खेवट न0 2 का 33/125 भाग बकदर 1-13, खेवट न0 156 का 278/1048 भाग बकदर 13-18, खेवट न0 157 का 1/18 भाग बकदर 1-17, खेवट न0 432 का 60/322 भाग बकदर 3-0, खेवट न0 433 का 10/119 भाग बकदर 0-10 , खेवट न0 445 का 1/18 भाग बकदर 0-1, खेवट न0 515 का 1/15 भाग बकदर 4-2, खेवट न0 535 का 1/9 भाग बकदर 0-16, खेवट न0 831 का 37/251 भाग बकदर 1-17 कुल तदादी रकबा 27-14 बाहक SBI संढौरा के पास बदले मु0 350000/- रुपये मे रकबा ता अदायगी रकम आड रहन रहेगा। ---लाल समाप्त----- ---लाल आरम्भ----- आड रहन बरुये रपट न0 577 तिथी 20/03/2015 के अनुसार संजीव पुत्र

Generated vide Entry/Receipt No.:07828 Dated:13-07-2018 Issued to परविन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार
Total Charges:380 (केवल तीन सौ अस्सी)
(Fee:85 + Computer Service Charges:295 (Total Pages:58))

Generated by mani123 from harland on bilaspur (984BE15FEF06) dllver 1.0.0.98 LRD:25/09/2017 9:30:32 AM SST:13/07/2018 8:27:50 AM LAT:13/07/2018 11:53:27 AM

HALRIS

13/07/2018 11:53:24AM

4/18

109201800007828

नकल जमाबंदी (पड़त पटवार)

गांव: मछरौली हदबस्त न. 263 तहसील: बिलासपुर जिला: यमुना नगर साल: 2013-2014 पृष्ठ संख्या: 2 / 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खेवट या जमाबंदी न.	खतौनी न.	नाम तरफ या पत्ती	विवरण सहित मालिक का नाम	विवरण सहित काश्तकार	कुंए या सिंचाई के अन्य साधन का नाम	नम्बर खसरा या मुरब्बा और कीले का नम्बर	रकबा और किस्म जमीन	दर और संख्या के ब्यौरे के साथ लगान जो मुजारा देता है	हिस्सा या हकीयत का पैमाना और बाछ का ढंग	माल और सवाई के ब्यौरे सहित मांग	अभियुक्ति
2चालू	चालू	[illegible] चालू	राजकुमार आदि चालू	खुदकाश्त चालू		चालू					राज कुमार ने खेवट न0 2 का 33/125 भाग बकदर 1-13, खेवट न0 156 का 1/15 भाग बकदर 3-9, खेवट न0 157 का 1/18 भाग बकदर 1-17, खेवट न0 432 का 60/322 भाग बकदर 3-0, खेवट न0 433 का 10/119 भाग बकदर 0-10 , खेवट न0 445 का 1/18 भाग बकदर 0-1, खेवट न0 515 का 170/1241 भाग बकदर 8-10 खेवट न0 535 1/9 भाग बकदर 0-16, खेवट न0 831 का 37/251 भाग बकदर 1-17 कुल तदादी रकबा 21-13 बाहक SBI संढौरा के पास बदले मु0 300000/- रुपये मे रकबा ता अदायगी रकम आड रहन रहेगा। ------लाल समाप्त----- ------लाल आरम्भ----- आड रहन बरुये रपट न0 576 तिथी 20/03/2015 के अनुसार बीरु पुत्र राज कुमार ने खेवट न0 2 का 33/125 भाग बकदर 1-13, खेवट न0 156 का 1/15 भाग बकदर 3-9, खेवट न0

Generated vide Entry/Receipt No.:07828 Dated:13-07-2018 Issued to परविन्द्र कुमार पुत्र राज कुमार
Total Charges:380 (केवल तीन सौ अस्सी)
(Fee:85 + Computer Service Charges:295 (Total Pages:58))
Generated by mani123 from harland on bilaspur (984BE15FEF06) dllver 1.0.0.98 LRD:25/09/2017
9:30:32 AM SST:13/07/2018 8:27:50 AM LAT:13/07/2018 11:53:27 AM

HALRIS

13/07/2018 11:53:24AM

5/6

6/18

इकरार नामा बाहमी तकसीम भूमि

राज कुमार उर्फ राजा पुत्र श्री लछमन दास पिसर सीता राम निवासी मछरौली तहसील जगाधरी ---- फरीक अवल या.

हुकम चन्द पुत्र श्री राज कुमार उर्फ राजा पिसर लछमन दास निवासी मछरौली तहसील जगाधरी ---- फरीक दोयम।

उग्र सैन बीरू उर्फ छोटू, संदीप उर्फ गोगी पुत्रान श्री राज कुमार उर्फ राजा पिसर लछमन दास निवासी मछरौली तहसील जगाधरी --- फरीक सोयम।

हम फरीकैन निम्न लिखत सरायत या इकरार करते है कि:-

यह कि हम फरीकैन की अपनी मलकियती भूमि वाका रकबा मौजा मछरौली तहसील जगाधरी जिला यमुना नगर मुश्तरका है जिसकी बाहमी तकसीम हमने इस प्रकार की हैकि:-

1- यह कि भूमि न: खसरा 75//11, 12/1, 325//1, 105//27/1 मिन उत्तर
7-7 5-14 6-19 9-1
किता 4 रकबा तादादी 22 कनाल। मरला सालम या न: खसरा 53//18, 13, 17 53//12/2, 19/1 किता 5 रकबा तादादी 12 कनाल 11 मरले का 63/251 भाग कदर 3 कनाल 3 मरले कुल तादादी 25 कनाल 4 मरले वाका रकबा मौजा मछरौली तहसील जगाधरी बाहमी तकसीम मैं फरीक अवल के पास आई है।

2- यह कि भूमि न: खसरा 53//1 2/1, 19/2, 21/1/2, 22, 59//2/2/2
5-5 6-8 4-7 8-0 1-15
रकबा तादादी 25 कनाल 5 मरले वाका रकबा मौजा मछरौली तहसीलजगाधरी बाहमी तकसीम मैं फरीक दोयम के पास आई है।

3- यह कि भूमि न: खसरा 59//6/2, 60//18/2, 23/1, 11, 19/1, 53//23, 59//4, 15/2/2, 7/1/2, 3/1, 60//20/1/2, 59//5, 60//10 वा 75//26 53//24, रकबा तादादी 75 कनाल 7 मरले वा न: खसरा 89//27/2 मिन 0-5 मरले
पूर्व
कुल तादादी 75 कनाल 12 मरले वाका रकबा मौजा मछरौली तहसीलजगाधरी बाहमी तकसीम मैं उग्रसैन- बीरू उर्फ छोटू, -संदीप उर्फ गोगी पुत्रान श्री राज कुमार उर्फ राजा पिसर लछमन दास हर तीन सकनान साकन मछरौली तहसील जगाधरी के पास आया है।

अलबद:- राज कुमारउर्फ राजा फ०अव्वल   हुकम चन्द फ० दो० उग्रसैन बीरू फ० सोयम

राज कुमार   Hukam Chand   उग्रसैन संदीप बीरू

4- यह कि हर दो फरीकैन ने अपने अपने बाहमी तकसीम में आये रकबा पर अपना अपना कब्जा ले का काशत कर लिया है। अब एक फरीक को दूसरे फरीक के बाहमी तकसीम में आये रकबा से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा है। और ना ही आज के बाद आगे रहेगा

5- यह कि बाबत तकसीम भूमि हर दो फरीकैन इसी भूमि को लेने के पाबन्द रहेंगे दूसरे फरीक की भूमि तकसीम से नहीं ले सकेंगे अगर कोई फरीक दूसरे फरीक की भूमि तकसीम में लेगा तो वह फरीक दूसरे फरीक के हर्जा खर्चा या नुकसान का देनदार या जिम्मेवार होगा और दूसरे फरीक की भूमि तकसीममें नहीं ले सकेगा।

6- यह कि अब हर दो फरीकैन अपने अपने बाहमी तकसीम में आये रकबा में चाहे लगाये या ट्यूबवैल लगवाये जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग में लावे किसी फरीक को कोई उजर ना होगा और ना ही आज के बाद आगे रहेगा। और ना ही कोई फरीक दूसरे फरीक के रकबा पर दखल अन्दाजी कर सकेगा।

7- यह कि भूमि नः खसरा 75//26 में लकडी खडी है जिसके मालिक फरीक सोयम होंगे बाकि फरीक का इस लकडी से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं होगा और ना ही बाबत लकडी कोई फरीक क्लेम कर सकेगा। अगर करेगा तो वही फरीक दूसरे फरीक के हर्जा खर्चा या नुकसान का देनदार या जिम्मेवार होगा।

8- यह कि जो ट्यूबवैल भूमि में लगा हुआ है उसके मालिक भी फरीक सोयम होंगे बाकि फरीकों का इस ट्यूबवैल से कोई ताल्लुक या वास्ता ना होगा। और ट्रैक्टर भी फरीक सोयम के पास बाहमी बटवारे में आया है और ट्रैक्टर से भी बाकि फरीकों का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा है और ट्रैक्टर फरीक सोयम के नाम तब्दील कराने के दूसरे फरीक पाबन्द रहेंगे।

9- यह कि हर दो फरीकैन शरायत इकरार नामा के पाबन्द रहेंगे जो फरीक शरायत को तोडेगा तो वही फरीक दूसरे फरीक के हर्जा खर्चा या नुकसान का देनदार या जिम्मेवार होगा

लिहाजा इकरार नामा बाहमी तकसीम भूमि अपनी इच्छा से लिखवाया दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे दि:- 14-1-04.

गवाह: हरभजन सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह — राज कुमार उर्फ राजा फरीक अव्वल
ग्राम मकरौली तह० जगाधरी

2- राम कुमार पुत्र श्री हरी राम — हुकम चन्द फरीक दोयम
ग्राम मकरौली तह० जगाधरी

कुमार सैन प्रवीन उर्फ छोटू - संजीव उर्फ गोगी फ० सोयम

Lease

11/18

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 24/12/2018

Certificate No. IAX2018L11

GRN No. 42788257

Stamp Duty Paid : ₹ 8640
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Hukam Chand

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : Machhrauli

City/Village : Machhrauli District : Yamuna nagar State : Haryana

Phone: 00000000

Buyer / Second Party Detail

Name : Gurminder Singh

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : Aryanwala

City/Village : Aryanwala District : Yamuna nagar State : Haryana

Phone : 0000000000

Purpose : non jud stamp paper for lease deed use

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

चकौतानामा अराजी तादादी रकबा 04 कनाल 07 मरले वाका रकबा मौजा मछरौली नं: 263 तह0 बिलासपुर जिला यमुनानगर ।

बदले मु: 1,44,000/-रूप्ये प्रति साल , अस्टाम मु: 8640/-रूप्ये

रूबरू कुछ नही , बराये अरसा 20 साल अज दिनांक 24.12.2018 ता 23.12.2038

हुकम चन्द का आधार नं: 3524 3968 8394

गुरमिन्द्र सिंह का आधार नं: 3398 9250 9472

मैं कि--हुकम चन्द पुत्र श्री- राज कुमार निवासी ग्राम- मछरौली तह0 बिलासपुर जिला यमुनानगर -----------फरीक अव्वल (मालिक भूमि)

वा

गुरमिन्द्र सिंह पुत्र श्री- प्रीतपाल सिंह निवासी ग्राम अराईयांवाला तह0 बिलासपुर जिला यमुनानगर जिला यमुनानगर ---------फरीक दोयम (चकोतेदार)

जो कि भुमि खेवट 515 खतानी 647 खसरा नं: 53//12/1, 19/2, 21/1/2, 22, 23, 59//3/1, 4, 5, 7/1/2, 15/2/2, 60//10, 20/1/2 तादादी रकबा 62 कनाल 1 मरले का 87/1241 भाग बकदर 4 कनाल 07 मरले वाका रकबा मौजा मछरौली नं: 263 तह0 बिलासपुर जिला यमुनानगर , मालिक बरूये फर्द जमाबन्दी साल 2014-2015 नकल लफ हजा मलकियती वा मकबुजा मुझ फरीक अव्वल है। जो कि हर प्रकार के भार से पाक वा साफ है

Gurminder Singh

हुकम चन्द फरीक अव्वल , गुरमिन्द्र सिंह फरीक दोयम ----2---

Hukam Chand

24/12/18

12/18

प्रलेख नः 1819 दिनाँक 24/12/2018

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	LEASE
तहसील/सब-तहसील	बिलासपुर
गांव/शहर	मछरौली

धन सबंधी विवरण	
राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 144,000.00 रुपये	स्टाम्प डयूटी की राशि 8,640.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1,000.00 रुपये E-Challan No.4279341(	पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: दर्शन लाल वकील

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनाँक 24/12/2018 दिन सोमवार समय 4:21:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी हुकमचन्द पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजकुमार उर्फ रामा निवासी मछरौली द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री हुकमचन्द

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बिलासपुर

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी गुरमिन्द्र सिंह पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी जरनैल सिह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी मछरौली व श्री/श्रीमती/कुमारी जसविन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी पिजोंर ने की।

साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 24/12/2018

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बिलासपुर

यह प्रमाणित किया जाता हे कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बिलासपुर

Singh जरनैल सिंह

13/16

जिसको मुन्तकिल करने का फरीक अव्वल का पुरा हक हासिल है। अब बराये जरूरत खर्च खानगी वा तरक्की कारोबार रकबा बराये अरसा 20 साल दिनांक 24.12.2018 ता 23.12.2038 तक बदले मु: 1,44,000/-रूप्ये (एक लाख चवालीस हजार रूप्ये) प्रति साल के हिसाब से फरीक दोयम को चकौता पर दे दी है तथा कब्जा मौका पर खसरा नं: 53//21/1/2 तादादी रकबा 4 कनाल 7 मरले (158 फूट गुणा 150 फूट) जिसके दक्षिण में सडक साढौरा से कपालमोचन रोड , फ्रन्ट 158 फूट ,वाका मौजा मछरौली नं: 263 तह0 बिलासपुर जिला यमुनानगर । दे दिया है। अब फरीक दोयम को हक होगा कि वह अराजी बाला को जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग में लावे, खुद काशत करें या किसी ओर से कराये , भुमि में मकान तामीर करें, पैट्रौल पम्प लगाये, भुमि में निर्माण करें, लाईट कनैक्शन या पावर कनैक्शन लेवे, दफतर बनाये, भुमि को आगे सिगमी चकौता पर देवे, जिस प्रकार से चाहे अपने प्रयोग में लावे , मुझ फरीक अव्वल का कोई उजर किसी किस्म का नही होगा। रकबा चकौता मैं फरीक अव्वल साल-दर-साल बाअख्ज रसीद फरीक दोयम से वसुल करूंगा, बिना रसीद कोई रकम चकौता मुजराई नही होगी। फरीक दोयम भी रकम चकौता साल-दर-साल बाअख्ज रसीद फरीक अव्वल को अदा करने के पाबन्द रहेंगा। रकम अन्दर मियाद 20 साल फरीक अव्वल वा वारसान फरीक अव्वल , फरीक दोयम के कारोबार में भूमि में कोई दखलअन्दाजी नही करेंगे, बाद खतम मियाद में फरीक दोयम खाली भुमि का कब्जा हवाल फरीक अव्वल करने का पाबन्द रहूंगा। नुक्स मलकियती की हर प्रकार से जिम्मेवार फरीक अव्वल होगा।अगर किसी नुक्स कानूनी या वाक्याति के कब्जा अराजी चकौता बाला पर से बिना अदाए जर चकौता के फरीक दोयम से निकल जावे तो फरीक दोयम के वापसी जरे चकौता मय हर्जा खर्चा वा नुक्सान का देनदार वा जिम्मेवार मैं फरीक अव्वल वा वारसान मेरे होगे।

अतः यह चकौतानामा भूमि अपनी इच्छा से रूबरू गवाहन लिखवा दिया है कि सनद रहे और काम आवे। मजमून पढकर सुनाया गया है जो सुनकर ठीक माना गया है।

दिनांक :- 24.12.2018,

गवाहः-

हुकमचन्द फरीक अव्वल,

1-जरनैल सिह नम्बरदार

मछरौली जरनैल सिंह

HChand

2-

गुरमिन्द्र सिंह फरीक दोयम

24/12/18

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
1,819	2018-2019	1

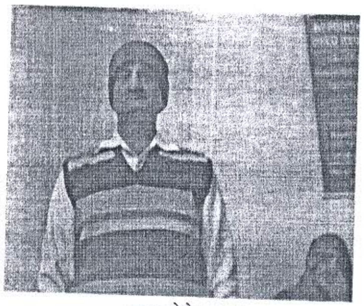

पटटा देने वाला

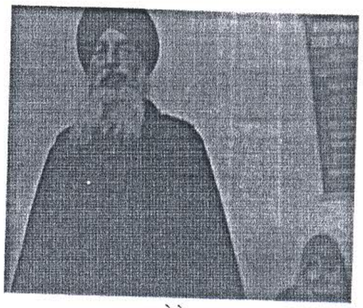

पटटा लेने वाला

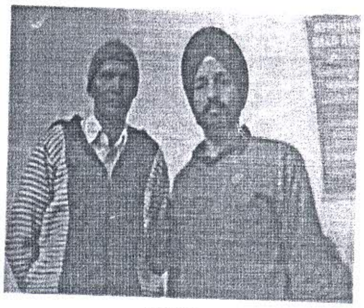

गवाह

उप /सयुँक्त पँजीयन अधिकारी

Hukam cnd

पटटा देने वाला	हुकमचन्द	
पटटा लेने वाला	गुरमिन्द्र सिंह	Gurmindr Sc
गवाह	जरनैल सिंह नम्बरदार	जरनैल
गवाह	जसविन्द्र सिंह	Singh

Reg. Year Book No.

2018-2019 1

15/18

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 1,819 आज दिनाँक 24/12/2018 को बही नः 1 जिल्द नः 165 के पृष्ठ नः 149 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,926 के पृष्ठ सख्या 73 से 75 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 24/12/2018

उप/सयुँक्त पंजीयन अधिकारी
बिलासपुर

16/18

नकल अक्स शजरा पारचा मौजा - मछरौली ह० नं० - 263

तहसील - समालखा जिला - [illegible] व की चकबन्दी 1953-54

तरमीम शुदा 1960-61

66 इंच करम के हिसाब से

1 किल्ला = 36×40 करम

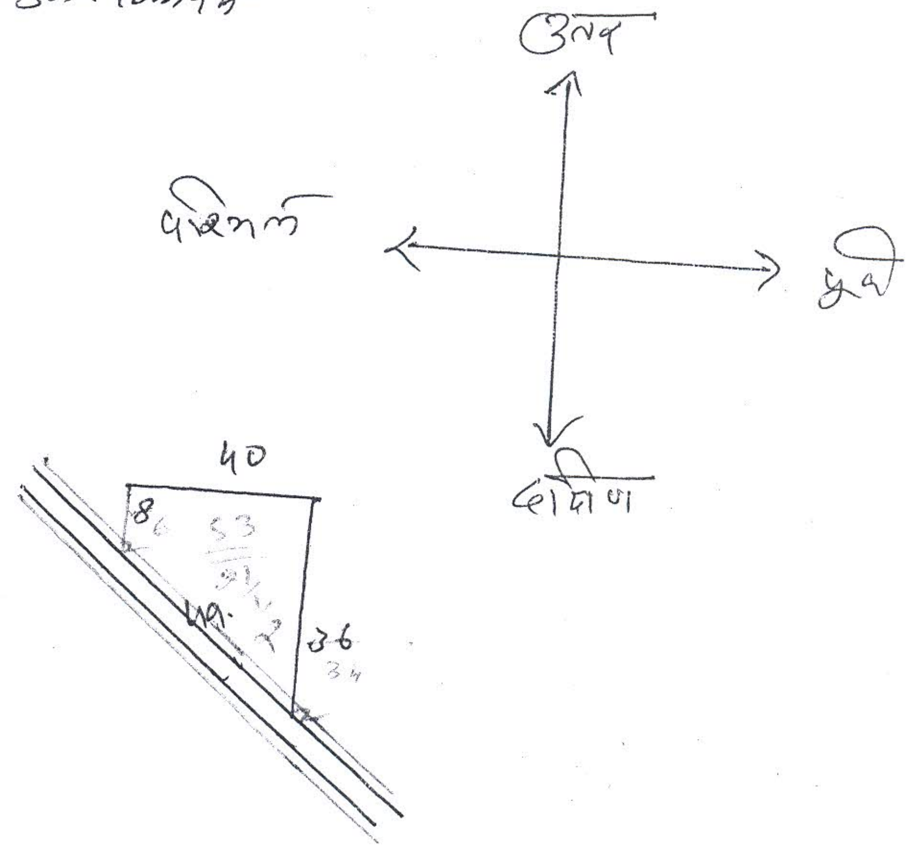

[illegible] श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

367

03/01/201